[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं 31/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"10.क **बैंक खाते के ब्यौरों का दिया जाना** - सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-06** में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए जाने और माल और सेवा कर पहचान संख्या समनुदेशित किए जाने के पश्चात् ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न जिसे, यथास्थिति, नियम 12 या नियम 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी अन्य उपबंध के अनुपालन में सामान्य पोर्टल पर, यथाशक्य, शीघ्र किंतु रजिस्ट्रीकरण दिए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के अपश्चात् या उस तारीख को, जिसको धारा 39 के अधीन विवरणी का दिया जाना अपेक्षित है, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, बैंक खाते के ब्यौरे के सबंध में जानकारी या कोई अन्य ऐसी जानकारी देगा, जिसकी अपेक्षा की जाए, देगा।"।

3. उक्त नियमों के नियम 21 के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(घ) नियम 10क के उपबंधों का उल्लंघन करता है ।"।

4. उक्त नियमों के नियम 32 के पश्चात् 1 जुलाई, 2019 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"32क. उन दशाओं में प्रदाय का मूल्य जहां केरल खाद्य उपकर लागू होता है -ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मूल्य को, जिन पर केरल वित्त विधेयक, 2019 के खंड 14 के अधीन केरल खाद्य उपकर का उद्ग्रहण किया गया है, अधिनियम की धारा 15 के निबंधनों में अवधारित किया गया मूल्य समझा जाएगा किंतु उसे उक्त उपकर को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।"।

5. उक्त नियमों के नियम 46 में पांचवें परंतुक के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिसों पर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि प्रदाय पत्र का त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू आर) कोड होगा ।"।

6. उक्त नियमों के नियम 49 में तीसरे परंतुक के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जावे वाली तारीख से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि प्रदाय पत्र का त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू आर) कोड होगा ।"।

7. उक्त नियमों के नियम 66 के उपनियम (2) में,-

(क) "**प्ररूप जीएसटीआर-2क** के **भाग ग** में प्रत्येक प्रदायकर्ता को और सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटीआर-4क**" में शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसकी कटौती की गई है, सामान्य पोर्टल पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "की सम्यक् तारीख" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) "सामान्य पोर्टल पर" शब्दों के पश्चात् "विधिमान्यकरण के पश्चात् उसके इलैक्ट्रानिक नकद खाते में से कटौती की गई कर की रकम का दावा करने के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

8. उक्त नियमों के नियम 67 के उपनियम (2) में,-

(क) "**प्ररूप जीएसटीआर-2क** के **भाग ग**" में शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "की देय तारीख" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) "सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप में" शब्दों के पश्चात् "विधिमान्यकरण के पश्चात् उसके इलैक्ट्रानिक नकद खाते में संगृहीत कर की रकम का दावा करने के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

9. उक्त नियमों के नियम 87 में,-

(क) उपनियम (2) के दूसरे परतुंक का लोप किया जाएगा ।

(ख) उपनियम (9) में,-

(i) "प्ररूप जीएसटीआर-02" शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ii) "नियम 87 के उपबंधों के अनुसार" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ग) उपनियम (12) के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(13) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, साधारण पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-09** में एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के लिए इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में, अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में उपलब्ध कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को अंतरित कर सकेगा ।"।

10. उक्त नियमों के नियम 91 के उपनियम (3) में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, सभी स्थानों पर जहां वे आते हैं, "संदाय सूचना" शब्दों के स्थान पर, "संदाय आदेश" शब्द रखे जाएंगे ।

11. उक्त नियमों के नियम 92 में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख,-

(क) उपनियम (4) में, सभी स्थानों पर जहां वे आते हैं, "संदाय सूचना" शब्दों के स्थान पर, "संदाय आदेश" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (4) में, "जो वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रत्यय किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "वहां वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश करेगा और प्रतिदाय की रकम के लिए प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय सूचना जारी करेगा तथा उसे समेकित संदाय सूचना के आधार पर आवेदक की रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में वर्णित और प्रतिदाय आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट उसके किसी बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक रूप से जमा करेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4क) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (4) के अधीन जारी समेकित संदाय सलाह के आधार पर प्रतिदाय का संवितरण करेगी ।" ;

(घ) उपनियम (5) में, "सूचना" शब्द के स्थान पर, "संदाय आदेश" शब्द रखे जाएंगे ।

12. उक्त नियमों के नियम 94 में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, "संदाय सूचना" शब्दों के स्थान पर, "संदाय आदेश" शब्द रखे जाएंगे ।

13. उक्त नियमों के नियम 95 के पश्चात् 1 जुलाई, 2019 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"95क. किसी अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित प्रस्थान करने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को कर मुक्त आपूर्ति करने वाले खुदरा आउटलेट को करों का प्रतिदाय-

(1) किसी अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित प्रस्थान करने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को, जो भारत से जा रहा है, देशी माल की आपूर्ति करने वाली खुदरा आउटलेट ऐसे माल की आवक आपूर्ति पर इसके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय की दावा करने का पात्र होगा ।

(2) आवक आपूर्तियों पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने वाला खुदरा आउटलेट, यथास्थिति, मासिक या तिमाही आधार पर, साधारण पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित प्रसुविधा केन्द्र के माध्यम से, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10ख** में प्रतिदाय के दावे के लिए आवेदन करेगा ।

(3) यथास्थिति, मास या तिमाही के दौरान की गई आपूर्ति के लिए जारी बीजकों की स्वप्रमाणित संकलित जानकारी, संबंधित क्रय बीजक के साथ प्रतिदाय आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय तब उपलब्ध होगा, यदि-

(क) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा कर बीजक के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से माल के आवक आपूर्ति प्राप्त की गई थी ;

(ख) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा कोई कर प्रभार्य किए बिना विदेशी विनिमय में किसी बाहर जाने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को उक्त माल की आपूर्ति की गई थी ;

(ग) आवक आपूर्ति के लिए कर बीजक पर खुदरा आउटलेट का नाम और माल और सेवा कर पहचान संख्या का उल्लेख है ; और

(घ) ऐसे अन्य निर्बन्धन और शर्तें, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, का समाधान कर दिया गया हो ।

(5) इस नियम के अधीन स्वीकृति और संदाय के लिए नियम 92 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "बाहर जाने वाला अंतरराष्ट्रीय पर्यटक" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में सामान्यतः निवासी नहीं है और जो भारत में वैध अप्रवासी प्रयोजनों के लिए छह मास से अनधिक रुकने के लिए भारत में प्रवेश करता है ।"।

14. उक्त नियमों के नियम 128 में,-

(क) उपनियम (1) में "लिखित आवेदन की प्राप्ति पर" शब्दों के पश्चात् "या ऐसी विस्तारित अवधि जो लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से एक मास की और अवधि के अधिक की हो, जो प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किए जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) में,-

i. "स्थानीय प्रकृति के मामलों पर हितबद्ध पक्षकारों से सभी आवेदन" शब्दों के पश्चात् "या ऐसे आवेदन जो स्थायी समिति द्वारा अग्रेषित किए जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

ii. "राज्य स्तरीय छानबीन समिति और छानबीन समिति द्वारा" शब्दों के पश्चात् "लिखित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर या प्राधिकारी द्वारा यथा अनुज्ञात लिखित में लेखबद्ध कारणों से एक मास से अनधिक अवधि के भीतर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

15. उक्त नियम के नियम 129 के उपनियम 6 में "तीन महीने की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करेगा" वाक्यांश में प्रयुक्त "तीन" शब्द के स्थान पर "छह" शब्द रखा जाएगा ।

16. उक्त नियम के नियम 132 के उपनियम (1) में "मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक" शब्द से पहले "प्राधिकारी" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

17. उक्त नियम के नियम 133 में,--

(क) उपनियम (1) में "तीन" शब्द के स्थान पर "छह" शब्द रखा जाएगा;
(ख) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
(2क) प्राधिकारी, उपनियम (1) के अधीन अवधारण प्रक्रिया के दौरान नियम 129 के उपनियम (6) के अधीन मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक से प्रस्तुत रिपोर्ट पर यदि कोई हो, स्पष्टीकरण मांग सकेगा।";

(ग) उपनियम (3) के खंड (ग) में “ऊपरी खंड के अधीन अवधारित धनराशि के पचास प्रतिशत” शब्दों के पश्चात् “उच्चतर धनराशि के संग्रहण की तारीख से ऐसी धनराशि के जमा करने की तारीख तक अट्ठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज के साथ” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(घ) उपनियम (3) के स्प्ष्टीकरण में “संबंधित राज्य" पद से राज्य अभिप्रेत है" शब्दों के पश्चात्" या संघ राज्यक्षेत्र" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ड.) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(5)(क) उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां नियम 129 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 171 के उपबंधों का, माल या सेवा या दोनों के संबंध में उन के सिवाय, जो उक्त रिपोर्ट में आच्छादित किए गए हैं, उल्लंघन किया गया है, प्राधिकारी उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे अन्य माल या सेवाओं या दोनों के संबद्ध अन्वेषण या जांच कराने के लिए उक्त नियम 1 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक को निदेश दे सकेगा ।

(ख) खंड (क) के अधीन अन्वेषण या जांच नई अन्वेषण या जांच समझी जाएगी और नियम 129 के सभी उपबंधों ऐसे अन्वेषण या जांच पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"।

18. उक्त नियम के नियम 138 के उपनियम (10) के, --

(क) सारणी में स्तंभ 3 में क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 4 के सामने “आकार से बड़ा.स्थोयरा शब्दों के पश्चात्” “या मल्टीमोडल वहन जिसमें कम से कम एक बार पोत द्वारा परिवहन सम्मिलित हो" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) द्वितीय परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :--

परंतु यह और भी कि ई-वे बिल की वैधता इसके अवसान के समय से आठ घंटे के भीतर विस्तारित की जा सकेगी।”

19. उक्त नियम के नियम 138ड के उपनियम (क) में,-

(क) "धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् “या भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 02/2019 केंद्रीय कर (दर) तारीख 7 मार्च, 2019 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 189 तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के लाभ का उपभोग करने वाला" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ख) "विवरणियां" शब्द के स्थान पर "**प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08** में विवरण" शब्द, अक्षर और अंक को रखे जाएंगे।

(ग) "कर अवधियों" शब्दों के स्थान पर "तिमाही" शब्द रखा जाएगा।

20. उक्त नियम के **प्ररूप जीएसटी आरईजी-01** प्ररुप की ''अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से संलग्न सारणी'' क्रमसंख्या 4 के सामने शीर्षक में "बैंक लेखा संबंधित प्रमाण" शब्दों के पश्चात् "जहां ऐसे लेखा के ब्यौरे दिए जाते हैं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

21. उक्त नियम के **प्ररुप जीएसटी आरईजी-07** के, भाग ख में प्रविष्टि 12 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"12A. बैंक खाता (खाते) के ब्यौरे (वैकल्पिक)

आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खाते की कुल संख्या (10 बैंक खातों तक रिपोर्ट की जाएगी)	

बैंक खाता 1 का ब्यौरा

खाता संख्या														
खाते का प्रकार							आईएफएससी							
बैंक का नाम														
शाखा का पता	स्वत: भर जाएगा													

टिप्पण : और बैंक खाते जोडें

22. उक्त नियम **प्ररुप जीएसटी आरईजी-12** में, भाग ख में 12 प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

''13. बैंक खाता (खाते) के ब्यौरे (वैकल्पिक)

आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खाते की कुल संख्या (10 बैंक खातों तक रिपोर्ट की जाएगी)	

बैंक खाते का ब्यौरा 1

खाता संख्या															
खाते का प्रकार							आईएफएससी								
बैंक का नाम															
शाखा का पात	स्वत:-पापुलेटड (संपादन रीति में)														

टिप्पण : और बैंक खाते जोंडें"।

23. उक्त नियम के **प्ररूप जीएसटीआर–4** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररुप जीएसटीआर-**4**

[नियम 62 देखिए]

संरचना उद्ग्रहण या अधिसूचना सं. 02/2019- **केंद्रीय कर (दर) का लाभ उठाने के लिए विकल्प लेने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी**

वर्ष						

1.		जीएसटीआइएन														
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	<स्वत:>													
	(ख)	व्यापार का नाम, यदि कोई है	<स्वत:>													
3.	(*क*)	पूर्व के वित्त वर्ष में संकलित आवर्त (स्वत: भर जाएगा)														
	(*ख*)	एआरएन	<स्वत:>(दाखिल करने के पश्चात्)>													
	(*ग*)	एआरएन की तारीख	<स्वत:>(दाखिल करने के पश्चात्)>													

4. ऐसे आवक प्रदाय जिनके अंतर्गत वे प्रदाय भी हैं जिन पर कर का संदाय प्रतिलोम प्रभार पर किया जाना है।

प्रदायकर्ता का	बीजक ब्यौरे	दर	करयोग्य मूल्य	कर की रकम	प्रदाय का स्थान

जीएस टिन	स.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	सेस	(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4क. आवक प्रदाय जो किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से ग्रहण किया गया है (उन प्रदायों जिन पर प्रतिलोम प्रभार लागू होता है को छोड़कर)										
4ख. आवक प्रदाय जो किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायदाता से ग्रहण किया गया है (प्रतिलोम प्रभार लागू होता है)										
4ग. आवक प्रदाय जो किसी अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से ग्रहण किया गया है										
4घ. आयात सेवा										

5. प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08 के अनुसार स्वत:निर्धारित उत्तरदायित्व का संक्षिप्त विवरण

(संशोधन आदि के कारण अग्रिम नेट, प्रत्यय और नामे नोट और कोई अन्य समायोजन)

क्रम सं.	विवरण	मूल्य	कर की रकम			
			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7
1.	जावक प्रदाय (छूट प्राप्त प्रदाय सहित)	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
2.	ऐसा आवक प्रदाय जिनको प्रतिलोम प्रभार लागू होता है जिसके अंतर्गत आयात सेवाएं भी हैं।	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
3.	कर संदत्त (1+2)	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
4.	ब्याज संदत्त, यदि कोई है	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>

6. ऐसे जावक प्रदाय/आवक प्रदाय जिनको प्रतिलोम प्रभार लागू होता है के कर दर वार ब्यौरे

(संशोधन आदि के कारण अग्रिम नेट, प्रत्यय और नामे नोट और अन्य समायोजन)

क्रम सं.	प्रदाय का प्रकार (जावक/आवक)	कर की दर(%)	मूल्य	कर की रकम			
				एकीकृत कर	एकीकृत कर	एकीकृत कर	एकीकृत कर
1	2	3	4	5	6	7	8
				<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
				<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
				<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
		कुल		<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>

7. टीडीएस/टीसीएस प्राप्त

कटौतीकर्ता/ई-वाणिज्य प्रचालक का जीएसटीआईएन	सकल मूल्य	रकम	
		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4

8. संदेय और संदत्त कर, ब्याज, विलम्ब शुल्क

क्र. स.	कर का प्रकार	संदेय कर की रकम (सारणी 6 के अनुसार)	पहले से संदत्त कर रकम (प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08	संदेय कर की अतिशेष रकम, यदि कोई हो	संदेय ब्याज	संदत्त ब्याज	संदेय विलम्ब शुल्क	संदत्त विलम्ब शुल्क

			के माध्यम से)	(3-4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एकीकृत कर	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>				
2.	केन्द्रीय कर	<स्वतः >	<स्वतः>	<स्वतः>				
3.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>				
4.	उपकर	<स्वतः >	<स्वतः>	<स्वतः>				

9. इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही से दावाकृत प्रतिदाय

वर्णन	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	नामे प्रविष्टि सं.
1	2	3	4	5	6	7
(क) एकीकृत कर						
(ख) केन्द्रीय कर						
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
(ग) उपकर						
बैंक खाते के ब्यौरे (ड्रॉप डाउन)						

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख :

पदाभिधान/प्रास्थिति

अनुदेश :-

1. प्रयुक्त निबंधन :
   (क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान सं.
   (ख) टीडीएस : स्रोत पर कर कटौती
   (ग) टीसीएस : स्रोत पर संग्रहित करे
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-4** में ब्यौरे, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आने वाले अप्रैल के तीसवें दिन तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।
3. ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए करदाता का संकलित आवर्त स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा ।
4. समेकित आधार पर आवक प्रदायों, दर-वार, जीएसटीआईएन-वार से सम्बन्धित जानकारी समाविष्ट करने के लिए सारणी 4 :
   (i) आवक प्रदायों से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से उन आवक प्रदायों, जिनको प्रतिलोम प्रभार लागू होते हैं, को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4क ;
   (ii) ऐसा रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से, जिसको प्रतिलोम प्रभार लागू होता है, आवक प्रदाय को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4ख ;
   (iii) अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्रदायों को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4ग ;
   (iv) सेवाओं के आयात को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4घ ;

5. ऐसे जावक प्रदायों, (जिनके अन्तर्गत छूट समाविष्ट प्रदाय भी हैं) और ऐसे आवक प्रदायों, जिनको वित्तीय वर्ष के दौरान **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08** में पूर्व में यथाघोषित सेवाओं के आयात सहित प्रतिलोम प्रभार लागू होते हैं, के ब्यौरे (और उनके समायोजक) समाविष्ट करने के लिए सारणी 5 ।

6. कटौतीकर्ती/ई-वाणिज्य प्रचालक से समाविष्ट स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर संग्रहीत कर प्रत्यय सारणी 7 में स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा।"

24. उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-9** में,-

(क) सारणी के क्रम सं. 8 के स्तंभ 2 की पंक्ति ग में, "सितम्बर, 2018 तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "2018 मार्च, से 2019 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) सारणी के भाग 5 के स्तंभ 2 के शीर्षक में, "चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो, की विवरणियों में घोषित पूर्व

वित्तीय वर्ष" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, "अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक के बीच विवरणियों में घोषित वित्तीय वर्ष 2017-18" अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) अनुदेशों में क्रम सं. 3 का लोप किया जाएगा ;

(घ) अनुदेशों के क्रम सं. 4 में, "इस भाग में घोषित" के साथ समाप्त होने वाले वाक्य के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"यह ध्यान दिया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त दायित्व **प्ररूप जीएसटीआर-1** में घोषित नहीं किया गया है और **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** इस विवरणी में घोषित किया जाए । तथापि, करदाता इस विवरणी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अदावाकृत इनपुट कर प्रत्यय का दावा नहीं कर सकते ।" ;

(ङ) अनुदेशों के क्रम सं. 5 की सारणी के स्तंभ 2 में,-

(i) क्रम सं. 8क के सामने "उनके **प्ररूप जीएसटीआर-1** में तत्स्थानी प्रदायकर्ताओं" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द, अक्षर और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"यह ध्यान दिए जाए कि 1 मई, 2019 तक सृजित **प्ररूप जीएसटीआर-2क** को सारणी में स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा ।";

(ii) क्रम सं. 8ग के सामने, "सितम्बर, 2018 तक" शब्दों के स्थान पर, "2018 से मार्च 2019" तक शब्द रखे जाएंगे ;

(च) अनुदेशों के क्रम सं. 7 में,-

(i) "चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितम्बर मास या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाइल किए जाने की तारीख (उदाहरणार्थ वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अप्रैल से सितम्बर, 2018 तक घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), जो भी पहले हो" शब्दों, अक्षरों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के बीच" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) सारणी के स्तंभ 2 में,-

(क) क्रम सं. 10 और क्रम सं. 11 के सामने, "चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी के फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो" शब्दों के स्थान पर, "2018 से मार्च, 2019 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम सं. 12 के सामने, "चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो" शब्दों के स्थान पर, "2018 से मार्च 2019 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) क्रम सं. 13 के सामने, चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो" शब्दों के स्थान पर, "2018 से मार्च 2019 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

25. उक्त नियमों में, **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-07** के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"

प्ररूप जीएसटी पीएमटी-09

*[*नियम *87(13* देखिए*)]*

इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही में एक लेखा शीर्ष से अन्य लेखा शीर्ष में रकम का अंतरण

1.	जीएसटीआईएन	
2.	(क) विधिक नाम	<स्वतः>
	(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो	<स्वतः>
3.	एआरएन	
4.	एआरएन की तारीख	

5. एक लेखा शीर्ष से अन्य लेखा शीर्ष में अंतरित की जाने वाली रकम के ब्यौरे

(रकम रुपए में)

निम्नलिखित से अंतरित की जाने वाली रकम			निम्नलिखित में अंतरित की जाने वाली रकम		
मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उपलब्ध रकम	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	अंतरित रकम

1	2	3	4	5	6
<केन्द्रीय कर, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर, उपकर>	कर		<केन्द्रीय कर, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर, उपकर>	कर	
	ब्याज			ब्याज	
	शास्ति			शास्ति	
	फीस			फीस	
	अन्य			अन्य	
	योग			योग	

6. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख :

पदाभिधान/प्रास्थिति

अनुदेश -

1. मुख्य शीर्ष-एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर और उपकर के प्रति निर्देश है ।
2. लघु शीर्ष-कर, ब्याज, शास्ति, फीस और अन्य के प्रति निर्देश है ।
3. यदि रकम एक मुख्य/लघु शीर्ष से किसी अन्य मुख्य/लघु शीर्ष में अंतरित की जानी आशयित है तो इस प्ररूप को भरें । रकम के अंतरण के लिए लघु शीर्ष वैसा ही या भिन्न हो सकता है ।
4. एक लघु शीर्ष से रकम को उसी मुख्य शीर्ष के अधीन किसी अन्य लघु शीर्ष में भी अंतरित किया जा सकता है ।

5. शीर्षक से कोई रकम केवल तभी अंतरित की जा सकती है यदि अंतरण के समय उस शीर्षक के अधीन अतिशेष उपलब्ध है ।

”

26. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-**05** में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी,-

(क) तीसरी लाइन में “सलाह”, शब्द के स्थान पर “आदेश” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) चौथी लाइन में “सलाह”, शब्द के स्थान पर “आदेश” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) छठी लाइन में “सेवा में <केन्द्रीय> पीएओ/ खजाना/आरबीआई/बैंक”, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर “सेवा में पीएओ, सीबीआईसी” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

27. उक्त नियम में प्ररूप जीएसटी आरएफडी- **10** के पश्चात् 1 जुलाई, 2019 से निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“

प्ररूप जीएसटी आरएफडी- 10 ख

*[*नियम95 क देखें*]*

शुल्क मुक्त दुकानों/शुल्क संदत्त दुकानों (खुदरा केंद्रों) द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. जीएसटीआइएन:
2. नाम:
3. पता:
4. कर अवधि(मासिक/त्रैमासिक) : से <दिन/मास/वर्ष>तक <दिन/मास/वर्ष>
5. दावाकृत प्रतिदाय की रकम: <आईएनआर><शब्दों में>
6. प्राप्त मालों के आवक प्रदायों और तत्स्थानी जावक प्रदायों के ब्यौरे

प्रदायों के ब्यौरे	
आवक प्रदाय	तत्स्थानी जावक प्रदाय

प्रदायकर्ता का जीएसटी आईएन	बीजक के ब्यौरे				दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम				बीजक के ब्यौरे			
	सं. / तारीख	एचएसएन कोड	परिमाण	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	सं. / तारीख	एचएसएन कोड	परिमाण	कराधेय मूल्य

7. जिसके लिए प्रतिदाय आवेदन किया गया है :

केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उप कर	कुल
< कुल >	< कुल >	< कुल >	< कुल >	< कुल >

8. बैंक खाता के ब्यौरे:

i. बैंक खाता संख्या

ii. बैंक खाता प्रकार

iii. बैंक का नाम

iv. खाता धारक/संचालक का नाम

v. बैंक शाखा का पता

vi. आईएफएससी

vii. एमआईसीआर

9. घोषणा:

मैं _____,_____(शुल्क मुक्त दुकान /शुल्क संदत्त दुकान-खुदरा केंद्र का नाम) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि,-

(i) इस आवेदन के साथ प्रस्तुत जावक प्रदायों के संबंध में किसी भी बीजकों के प्रति प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है ।

(ii) ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है ।

तारीख: प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

स्थान: नाम:

पदनाम /प्रास्थिति

अनुदेश:

1. **प्रतिदाय के लिए आवेदन, खुदरा केंद्रों द्वारा विवरणी के प्रस्तुत करने की आवृत्ति की निर्भरता पर मासिक/त्रैमासिक आधार पर फाइल किया जाएगा ।**
2. **एक आवक प्रदाय बीजक के संबंध में केवल एक बार आवेदन किया जाएगा । इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि आवक प्रदाय बीजकों के लिए प्रतिदाय का आवेदन केवल उन प्राप्त मालों के बीजकों के विरुद्ध किया जाए जो पूर्ण रूप से प्रदाय किए गए हैं ।**
3. **आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा घोषित सभी बीजकों में प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन हो और संबंधित शुल्क मुक्त दुकान/शुल्क संदत्त दुकान(खुदरा केंद्र) का जीएसटीआईएन उन पर स्पष्ट रूप से चिन्हित हो ।**
4. **प्रतिदाय आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज**:

   (क) यह परिवचन कि सभी देशी मालों जिन पर प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, **शुल्क मुक्त दुकान/शुल्क संदत्त दुकान(खुदरा केंद्र) द्वारा प्राप्त किया गया है**;

   (ख) यह परिवचन कि देशी माल बाहर जा रहे पात्र अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को बेचे गए हैं;

   (ग) जिस अवधि के लिए आवेदन फाइल किया जा रहा है उसके लिए विवरणी की प्रति ।

".

28. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:–

"

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03

*[*नियम *142(2)* और *142 (3)*देखें*]*

स्वैच्छिक रूप से किए गए संदाय की सूचना या कारण बताओं नोटिस (एससीएन) या

विवरण के सापेक्ष किया गया संदाय ।

1.	जीएसटीआईएन		
2.	नाम	<स्वतः>	
3.	संदाय के हेतुक	<< ड्राप डाउन>> लेखा परीक्षा, अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी,समाधान विवरण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
4.	वह धारा जिसके अधीन स्वैच्छिक संदाय किया गया है	<< ड्राप डाउन>>	
5.	कारण बताओ नोटिस के ब्यौरे, यदि इसके जारी होने के 30 दिन के भीतर संदाय किया गया है	संदर्भ संख्या	जारी होने की तारीख
6.	वित्तीय वर्ष		
7.	ब्याज और शास्ति सहित संदाय के ब्यौरे, यदि लागू हो (रकम रु. में)		

क्र.सं.	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (पीओएस)	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति, यदि लागू हो	अन्य	कुल	उपयोग किए गए खाते (नकद/प्रत्यय)	विकलन प्रविष्टि सं.	विकलन प्रविष्टि की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

8. कारण, यदि कोई हों - << पाठ>>

9. सत्यापन-

मैं.....सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

तारीख – ".

".

[**फा.सं.** 20/06/16/2018-**जीएसटी**]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 610 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर,तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 321(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2019 द्वारा अधिसूचना सं. 20/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल, 2019 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए ।